

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

आसीन अधिकारी :-

दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :-

134 / 2018

1. जुगलकिशोर आत्मज अमरलाल जाति गुर्जर निवासी सारसला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी

-प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. ममता बाई
3. सुनिता बाई पुत्रिया अमरलाल जाति गुर्जर नि0 सारसला
4. रणजीत उर्फ गोलू आ0 रघुनाथ ना0बा0 जयें संरक्षक माता श्रीमति विमला बाई पत्नि रघुराज
5. प्रेमबाई बेवा अमरलाल जाति गुर्जर निवासी सारसला तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0
6. विमला बाई बेवा रघुराज जाति गुर्जर नि0 सारसला तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0

-अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपरिस्थित :-

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री रामकिशन प्रजापत
2. प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 की और से श्री कुलदीप सिंह गोड़।


उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

—: आदेश :—

दिनांक— 04.09.2019

वादी की ओर से उक्त वादपत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का दिनांक 13.08.2018 को पेश किया गया।


2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं. 78 की खसरा संख्या 923 रकबा 0.50 है, ख.सं. 924 रकबा 1.54 है कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.04 है वाके माल सारसला में विस्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का 1/6 हिस्सा निहित है। जिसमें वादी का नाम जुगराज पुत्र अमरलाल दर्ज हो रहा है। इसी प्रकार खाता सं. 75 के ख.नं. 194 रकबा 0.72 है, ख.नं. 210 रकबा 0.64 है, ख.नं. 502 रकबा 0.09 है, ख.नं. 591 रकबा 0.15 है, ख.नं. 592 रकबा 0.12 है, ख.नं. 593 रकबा 0.13 है, ख.नं. 598 रकबा 0.10 है, ख.नं. 601 रकबा 0.08 है, ख.नं. 602 रकबा 0.07 है, ख.नं. 603 रकबा 0.10 है, ख.सं. 604 रकबा 0.10 है, ख.नं. 635 रकबा 0.08 है, ख.नं. 761 रकबा 1.61 है, ख.नं. 762 रकबा 1.49 है, ख.नं. 763 रकबा 0.02 है, ख.नं. 842 रकबा 0.05 है, ख.नं. 1102 रकबा 1.50 है कुल कित्ता 17 कुल रकबा 7.05 है वाके माल सारसला तहसील के पाटन जिला बून्दी राज. में विस्थित है। जिसमें हम वादी व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। उक्त जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादी का नाम जुगराज पुत्र अमरलाल का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादी का नाम जुगलकिशोर है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं राशनकार्ड में नाम जुगलकिशोर वल्द अमरलाल है। इसी प्रकार वाके ग्राम व माल पीपल्दा जागीर की कृषि भूमि सम्वत् 2069-2072 के खाता सं. 68-70 के ख.नं. 838 रकबा 0.61 है, ख.नं. 854 रकबा 1.00 है कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.61 है में वादी का नाम जुगलकिशोर वल्द अमरलाल का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादी का नाम वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि में जुगलकिशोर के स्थान पर जुगराज दर्ज हो गया है जबकि वादी का नाम जुगलकिशोर है परन्तु वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित नाम गलत अंकन हो जाने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में दर्ज


अध्यक्ष अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

- नाम जुगराज वल्द अमरलाल को वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि, सरकारी दस्तावेजात एवं जमाबन्दी खाता सं. 68 के आधार पर जुगराज के स्थान पर जुगलकिशोर वल्द अमरलाल दर्ज किया जावे।
3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 ने आपसी सहमति से दिनांक 13.08.2019 को राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
 4. वकील वादी ने साक्ष्य में स्वयं वादी जुगलकिशोर का शपथ पत्र किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 प्रदर्श-3 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 प्रदर्श-4 पेश किये।
 5. बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। उभयपक्षों के द्वारा दिनांक 13.08.2019 को प्रस्तुत राजीनामा को बाद जाँच तस्दीक किया गया। राजीनामा अनुसार वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—


परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 78 की खसरा संख्या 923 रकबा 0.50 है0, ख.सं. 924 रकबा 1.54 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है0 वाके माल सारसला, खाता सं. 75 के ख.नं. 194 रकबा 0.72 है0, ख.नं. 210 रकबा 0.64 है0, ख.नं. 502 रकबा 0.09 है0, ख.नं. 591 रकबा 0.15 है0, ख.नं. 592 रकबा 0.12 है0, ख.नं. 593 रकबा 0.13 है0, ख.नं. 598 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 601 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 602 रकबा 0.07 है0, ख.नं. 603 रकबा 0.10 है0, ख.सं. 604 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 635 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 761 रकबा 1.61 है0, ख.नं. 762 रकबा 1.49 है0, ख.नं. 763 रकबा 0.02 है0, ख.नं. 842 रकबा 0.05 है0, ख.नं. 1102 रकबा 1.50 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 7.05 है0 वाके माल सारसला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. में जुगराज पुत्र अमरलाल के स्थान पर जुगलकिशोर वल्द


उपरखण्ड अभिकारी
के. पाटन (बून्दी)

अमरलाल अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



उक्त आदेश आज दिनांक 04.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(दुर्गाशंकर/मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवराय पाटन

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के०पाटन

इजलास - दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

जुगलकिशोर V/S सरकार वगै०
वाद- अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती
मुकदमा नम्बर :: 134/2018

वादी की ओर से श्री रामकिशन प्रजापति, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 2 लगा. 6 की ओर से श्री कुलदीप सिंह गौड़, अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.09.19 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि-


“वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 78 की खसरा संख्या 923 रकबा 0.50 है०, ख.सं. 924 रकबा 1.54 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है० वाके माल सारसला, खाता सं. 75 के ख.नं. 194 रकबा 0.72 है०, ख.नं. 210 रकबा 0.64 है०, ख.नं. 502 रकबा 0.09 है०, ख.नं. 591 रकबा 0.15 है०, ख.नं. 592 रकबा 0.12 है०, ख.नं. 593 रकबा 0.13 है०, ख.नं. 598 रकबा 0.10 है०, ख.नं. 601 रकबा 0.08 है०, ख.नं. 602 रकबा 0.07 है०, ख.नं. 603 रकबा 0.10 है०, ख.सं. 604 रकबा 0.10 है०, ख.नं. 635 रकबा 0.08 है०, ख.नं. 761 रकबा 1.61 है०, ख.नं. 762 रकबा 1.49 है०, ख.नं. 763 रकबा 0.02 है०, ख.नं. 842 रकबा 0.05 है०, ख.नं. 1102 रकबा 1.50 है० कुल किता 17 कुल रकबा 7.05 है० वाके माल सारसला तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज. में जुगराज पुत्र अमरलाल के स्थान पर जुगलकिशोर वल्द अमरलाल अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।”

नीजग..... मुबलिकग..... बाबतग.....
... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरहग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तकग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.09.2019 को जारी की गई।

मोहर




(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन